कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर–1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
तपोवन मार्ग, रायपुर रोड, उत्तराखण्ड, देहरादून।

उत्तराखण्ड राज्य

Website- www.rwd.uk.gov.in **gmail:hod.res.uk@gmail.com**

पत्रांक 1621 /ग्रा0नि0वि0/ निर्देश /2025–26 दिनांक 14 अक्टूबर, 2025

ई–मेल द्वारा।

1. मुख्य अभियन्ता (स्तर–2),
   ग्रामीण निर्माण विभाग,
   भीमताल स्थित नैनीताल।

2. समस्त अधीक्षण अभियन्ता,
   ग्रामीण निर्माण विभाग,
   उत्तराखण्ड।

विषयः– असामान्य रूप से न्यून निविदाओं की पहचान, मूल्यांकन एवं उन पर की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में।

निविदा प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि असामान्य रूप से निम्न निविदाओं (Abnormaly Low Bids, ALB) की वस्तुनिष्ठ रूप से पहचान कर उचित कार्यवाही की जाए। ऐसी निविदायें परियोजना की गुणवत्ता, समयबद्धता और वित्तीय व्यवहार्यता के लिए जोखिम उत्पन्न कर सकती हैं। इस सम्बन्ध में उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग–7 के अधिसूचना संख्या 47/XXVII(7)32(1)/2025 दिनांक 13.08.2025 द्वारा जारी "उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2025" के प्रस्तर 3.5.4 के आलोक में असामान्य रूप से न्यून निविदाओं की पहचान, मूल्यांकन एवं उन पर कार्यवाही हेतु परिपत्र गठित किया गया है।

अतः उक्त परिपत्र संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जा रहा है, कि तदनुसार अनुपालन करना तथा यदि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की अस्पष्टता अथवा किसी बिन्दु पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो, तो अधोहस्ताक्षरी कार्यालय से संपर्क करना सुनिश्चित करें।

सलग्नः– उपरोक्तानुसार।

प्र0 मुख्य अभियन्ता (स्तर–1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक एवं दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
2. अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
3. समस्त अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ कि उक्तानुसार परिपालन करना सुनिश्चित करें।

Digitally signed by
VIBHU VISHWAMITRA RAWAT
Date: 14-10-2025 16:06:58

प्र0 मुख्य अभियन्ता (स्तर–1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

परिपत्र

पत्रांक – 1621/ग्रा0नि0वि0/निर्देश/ 2025–26 दिनांक – 14 अक्तूबर, 2025

विषय – निविदाओं में प्राप्त असमान्य रूप से न्यून निविदाओं की वस्तुनिष्ठ पहचान, मूल्यांकन एवं उनपर की जाने वाली कार्रवाई हेतु मार्गदर्शिका।

1. भूमिका –उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग–7 के अधिसूचना संख्या 47/XXVII(7)32(1)/2025 दिनांक 13.08.2025 द्वारा जारी उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2025 के प्रस्तर 3.5.4 के आलोक में निविदा प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि असमान्य रूप से निम्न निविदाओं (Abnormaly Low Bids, ALB) की वस्तुनिष्ठ रूप से पहचान कर उचित कार्रवाई की जाए। ऐसी निविदायें परियोजना की गुणवत्ता, समयबद्धता और वित्तीय व्यवहार्यता के लिए जोखिम उत्पन्न कर सकती हैं। इस परिपत्र का उद्देश्य निविदाओं की संख्या के आधार पर पहचान की जाने वाली स्पष्ट सांख्यिकीय विधियाँ एवं कार्यवाही प्रक्रिया निर्धारित करना है।

असामान्य रूप से कम निविदा (ALB) वह निविदा होती है जिसमें निविदा मूल्य, निविदा के अन्य तत्वों के साथ मिलकर, इतना कम प्रतीत होता है कि यह निविदादाता की प्रस्तावित मूल्य पर अनुबंध निष्पादित करने की क्षमता के बारे में महत्वपूर्ण चिंताएँ उत्पन्न करता है। ऐसे मामलों में, निविदाकर्ता अधिकारी निविदादाता से लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है, जिसमें निविदा मूल्य के दायरे, अनुसूची, जोखिमों और जिम्मेदारियों के आवंटन और निविदा दस्तावेज़ की किसी भी अन्य आवश्यकताओं के संबंध में विस्तृत मूल्य विश्लेषण शामिल हो।

मूल्य विश्लेषणों का मूल्यांकन करने के बाद, निविदाकर्ता अधिकारी यह निर्धारित करता है कि निविदादाता अपनी प्रस्तावित मूल्य पर अनुबंध प्रदान करने की क्षमता के अभाव में, निविदाकर्ता, निविदा/प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकता है तथा अनुबंध प्रदान करने के लिए अगले उच्चतर निविदादाता (आदि) का मूल्यांकन उसकी/उनकी अपनी उद्धृत दर (यदि उचित समझा जाए, ना कि ALB की प्रति–प्रस्ताव दर से) पर कर सकता है।

अनुमानित लागत से कम एक मानक प्रतिशत निर्धारित करना उचित नहीं होगा, जिसे स्वतः ही असामान्य रूप से कम निविदा माना जाएगा। निविदादाताओं द्वारा असामान्य रूप से कम बोलियाँ प्रस्तुत करने से बचाव के लिए निविदा दस्तावेज़ तैयार करते समय विनिर्देशों को तैयार करते समय उचित सावधानी बरती जानी चाहिए।

2. पहचान की विधि – असामान्य रूप से निम्न निविदाओं की पहचान हेतु निविदाओं की कुल संख्या के आधार पर निम्नलिखित विधियाँ अपनाई जाएंगी। ये विधियाँ अन्तरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं तथा आँकड़ों में चरम मूल्यों से प्रभावित नहीं होती।

2.1. पाँच या अधिक बोलियाँ प्राप्त होने की स्थिति में – अन्तरचतुर्थक प्रसार (Interquartile Range, IQR) विधि। यह विधि डेटा के मध्य 50 प्रतिशत भाग के फैलाव पर आधारित है और यह अत्यधिक ऊँची या निम्न निविदाओं से प्रभावित नहीं होती ।

चरण 1 – डेटा को क्रमबद्ध करें – सभी वैध वित्तीय निविदाओं को सबसे कम से सबसे अधिक मूल्य के क्रम में व्यवस्थित करें।

चरण 2 – चतुर्थकों (Quartiles) की गणना करें –

Q1 (प्रथम चतुर्थक) – संपूर्ण डेटा के निचले आधे भाग की माध्यिका (मीडियन) है। इसे "एक्सक्लूसिव मेथड" से निकाला जाएगा, यानी विषम संख्या में बोलियाँ होने पर सम्पूर्ण डेटा के मध्यमान (मीडियन) को छोड़कर गणना करें ।

Q3 (तृतीय चतुर्थक) – संपूर्ण डेटा के ऊपरी आधे भाग की माध्यिका (मीडियन) है। इसकी गणना भी उपरोक्त विधि से की जाएगी।

चरण 3 – IQR की गणना करें, IQR = Q3 – Q1

चरण 4 – निम्न सीमा (Lower Fence) निर्धारित करें –

निम्न सीमा = Q1 – (1.5 × IQR)

चरण 5 – असामान्य निविदाओं की पहचान – जो भी निविदा इस निम्न सीमा से कम मूल्य की होगी, उसे "असामान्य रूप से निम्न निविदा" माना जाएगा।

2.2. पाँच से कम बोलियाँ प्राप्त होने की स्थिति में – माध्य से प्रतिशत विचलन (Percentage Deviation from Mean) विधि

छोटे नमूने के आकार में IQR विधि की विश्वसनीयता कम हो जाती है, अतः ऐसी स्थिति में यह वैकल्पिक विधि अपनाई जाएगी।

चरण 1 – माध्य (औसत) की गणना करें – सभी निविदाओं के मूल्यों का माध्य निकालें।

माध्य = सभी निविदाओं का योग / निविदाओं की कुल संख्या

चरण 2 – निम्नतम निविदा का प्रतिशत विचलन ज्ञात करें –

विचलन (%) = [(माध्य – निम्नतम निविदा) / माध्य] * 100

चरण 3 – आसमान्य निविदाओं की पहचान – यदि निम्नतम निविदा का माध्य से विचलन 15%, से अधिक है, तो उस निविदा को **"आसमान्य रूप से निम्न"** माना जाएगा।

3. कार्यवाही की प्रक्रिया –

एक बार असामान्य रूप से निम्न निविदा की पहचान हो जाने के बाद, निम्नलिखित कार्यवाही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। यह प्रक्रिया वैश्विक मानकों के अनुरूप है जहाँ निविदादाता से स्पष्टीकरण माँगना एक सामान्य प्रथा है ।

3.1. स्पष्टीकरण का अनुरोध – असामान्य रूप से निम्न निविदा की पहचान होते ही, असामान्य रूप से निम्न निविदा देने वाले निविदादाता से लिखित रूप में विस्तृत स्पष्टीकरण एवं औचित्य, माँगा जाए, जिसके लिए निविदादाता को उत्तर देने हेतु अधिकतम 7 कार्य दिवसों का समय दिया जाये। स्पष्टीकरण एवं उसके मूल्यांकन में निम्न बिन्दु अवश्य शामिल हों –

- कार्य/सामग्री की लागत का विस्तृत विवरण (विधिवत लागत विश्लेषण)।
- प्रस्तावित कार्य पद्धति।
- उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल/उपकरणों का स्रोत एवं लागत।
- कोई अन्य ऐसा कारक जो इतनी कम लागत को संभव बनाता हो।
- निविदाकर्ता द्वारा न्यून दरों में समान प्रकृति के कार्य को समान प्रकृति के कार्यस्थल पर संतोषजनक रूप से पूर्ण किया गया है।

3.2. मूल्यांकन समिति द्वारा समीक्षा – निविदादाता द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण का मूल्यांकन निविदा समिति द्वारा किया जाए। समिति यह आकलन करेगी कि क्या निविदादाता बिना गुणवत्ता से समझौता किए या जोखिम में पड़े, अनुबंध के दायित्वों को पूरा करने में सक्षम है। असामान्य रूप से कम निविदाओं के मामले में अतिरिक्त कार्यपूर्ति/निष्पादन प्रतिभूति के संबंध में निविदा दस्तावेजों में कोई प्रावधान नहीं रखा जाना चाहिए।

यदि मूल्य विश्लेषण का मूल्यांकन करने के बाद समिति यह निर्धारित करती है कि बोलीदाता ने प्रस्तावित मूल्य पर अनुबंध देने की अपनी क्षमता को पर्याप्त रूप से प्रमाणित नहीं किया है, समिति बोली/प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकती है। निविदा स्वीकार किये जाने की स्थिति में **"उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2025"** के प्रस्तर 4.6 के अनुसार कार्यपूर्ति/निष्पादन प्रतिभूति का निर्धारण कर अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जायेगी।

3.3. संस्तुति एवं निर्णय –

- यदि निविदादाता का स्पष्टीकरण संतोषजनक, तर्कसंगत एवं विश्वसनीय पाया जाता है, तो निविदा को स्वीकार किया जा सकता है।
- यदि स्पष्टीकरण असंतोषजनक, अवास्तविक प्रतीत होता है अथवा निविदादाता कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करता, तो समिति उस निविदा को अस्वीकार करने की संस्तुति कर सकती है।
- अंतिम निर्णय संबंधित अधिकारी द्वारा समिति की सिफारिशों एवं दस्तावेज़ीकरण के आधार पर लिया जाएगा।

4. गणना उदाहरण (Illustration) –

उदाहरण 1 – IQR विधि (7 बोलियाँ)

एक निविदा में निम्न 7 बोलियाँ प्राप्त हुई हैं (लाख रुपये में) – 08, 13, 14, 14.5, 15, 16, 30

- चरण 1 – डेटा पहले से क्रमबद्ध है।
- चरण 2 – कुल बिन्दु 7 (विषम) हैं। मध्यमान (मीडियन) = 14.5
  Q1 (पहले आधे भाग की माध्यिका – 08, 13, 14) = 13
  Q3 (दूसरे आधे भाग की माध्यिका – 15, 16, 30) = 16
- चरण 3 – IQR = Q3 – Q1 = 16 – 13 = 3
- चरण 4 – निम्न सीमा = Q1 – (1.5 × IQR) = 13– (1.5 × 3) = 13 – 4.5 = 8.5
- चरण 5 – न्यूनतम निविदा, 08 लाख, चूंकि निम्न सीमा 8.5 लाख से कम है, अतः, इस निविदा को असामान्य रूप से निम्न कहा जायेगा।

उदाहरण 2 – IQR विधि (9 बोलियाँ)

एक निविदा में निम्न 9 बोलियाँ प्राप्त हुई हैं – 08, 13, 13.75, 14, 14.5, 15, 16, 16.5, 30

- चरण 1 – डेटा पहले से क्रमबद्ध है।
- चरण 2 – कुल बिन्दु 9 (विषम) हैं। मध्यमान (मीडियन) = 14.5
  Q1 (पहले आधे भाग की माध्यिका – 08, 13, 13.75, 14 = (13+13.75)/2=13.375
  Q3 (दूसरे आधे भाग की माध्यिका – 15, 16, 16.5, 30 = (16+16.50)/2=16.25

- चरण 3 – IQR = Q3 – Q1 = 16.25 – 13.375 = 2.875
- चरण 4 – निम्न सीमा = Q1 – (1.5 × IQR) = 13.375 – (1.5 × 2.875)
  = 13.375 – 4.3125 = 9.0625
- चरण 5 – न्यूनतम निविदा, 08 लाख, चूंकि निम्न सीमा 9.0625 लाख से कम है, अतः इस निविदा को असामान्य रूप से निम्न कहा जायेगा।

उदाहरण 3 – IQR विधि (8 बोलियाँ)
एक निविदामें निम्न 8 बोलियाँ प्राप्त हुई हैं – 08, 13, 13.75, 14, 14.5, 15, 16, 16.5,

- चरण 1 – डेटा पहले से क्रमबद्ध है।
- चरण 2 – कुल बिन्दु 8 (सम) हैं।
  Q1 (पहले आधे भाग की माध्यिका – 08, 13, 13.75, 14 = (13+13.75)/2=13.375
  Q3 (दूसरे आधे भाग की माध्यिका – 14.5, 15, 16, 16.5 = (15+16)/2=15.5
- चरण 3 – IQR = Q3 – Q1 = 15.5 – 13.375 = 2.125
- चरण 4 – निम्न सीमा = Q1 – (1.5 × IQR) = 13.375 – (1.5 × 2.125)
  = 13.375 – 3.1875 = 10.1875
- चरण 5 – न्यूनतम निविदा, 08 लाख, चूंकि निम्न सीमा 10.1875 लाख से कम है अतः, इस निविदा को असामान्य रूप से निम्न कहा जायेगा।

उदाहरण 3 – प्रतिशत विचलन विधि (3 बोलियाँ)
बोलियाँ – ₹10 लाख, ₹12 लाख, ₹15 लाख

- चरण 1 – माध्य = (10 + 12 + 15) / 3 = ₹12.33 लाख
- चरण 2 – निम्नतम निविदा का विचलन = [(12.33 – 10) / 12.33] * 100 ≈ 19%
- चरण 3 – पूर्व–निर्धारित सीमा 15% है, तो 19% > 15% होने के कारण ₹10 लाख की निविदा असामान्य रूप से निम्न मानी जाएगी।

5. निर्देश – निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त विधियों एवं प्रक्रिया का पालन करें तथा प्रत्येक निविदा मामले में की गई गणना, विश्लेषण और कार्यवाही का पूर्ण रिकॉर्ड संधारित किया जाए।
6. प्रभाव – यह परिपत्र जारी होने की तारीख से लागू माना जाएगा।

(इं० विभू विश्वामित्र रावत)
प्र० मुख्य अभियन्ता (स्तर–1)।